बनाम रामचनद

न्यायालय, उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन भू–अभिलेख अधिकारी, धोरीमन्ना (जिला बाड़मेर) राजस्थान

पीठासीन अधिकारी :– श्री धीरेन्द्रसिंह आर.ए.एस.

आवेदन संख्या :– 38 / 2022

प्रार्थी	बनाम	विप्रार्थीगण
1. टिमुदेवी पत्नी नाथाराम जाति जाट निवासी आदर्श लूखू पटवार मण्डल लूखू तहसील धोरीमन्ना जिला बाड़मेर राजस्थान		1. रामचन्द्र पुत्र प्रभुराम 2. हीराराम पुत्र प्रभुराम जाति सुथार निवासी भीलों की बस्ती पटवार मण्डल लूखू तहसील धोरीमन्ना जिला बाड़मेर 3. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार धोरीमन्ना जिला बाडमेर।

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम वास्ते नेखमबन्दी

तारीख रजू :– 23.03.2022

अधिवक्तागण :– 1. श्री देवाराम चौधरी, अधिवक्ता प्रार्थीनी
2. श्री हापूराम विश्नोई, अधिवक्ता विप्रार्थीगण

– : : निर्णय : : –

दिनांक :– 2-2-24

प्रार्थीनी की ओर से अधिवक्ता श्री देवाराम चौधरी द्वारा एक राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थीनी की खातेदारी के खेत ग्राम भीलों की बस्ती पटवार क्षेत्र लूखू तहसील धोरीमना के खसरा नम्बर 233 / 3 क्षेत्रफल 2.7519 हैक्टेयर किस्म बारानी सोयम की भूमि आई हुई है। उपरोक्त खसरे की भूमि पर प्रार्थीनी की क्रय सुदा भूमि हैं जो प्रार्थीनी के क्रय के बाद से आज दिन तक खातेदारी में दर्ज होकर काबिज होकर काश्त करते आ रहे हैं व प्रार्थीनी स्वयं के नाम से है। प्रार्थीनी की उपरोक्त भूमि के सेढा–सेढ ही विप्रार्थी संख्या 01 के खेत खसरा नम्बर 233 / 1 क्षैत्रफल 7.4138 हेक्टेयर किस्म बारानी सोयम विप्रार्थी संख्या 02 के खेत खसरा नम्बर 233 क्षेत्रफल 6.2969 हैक्टेयर किस्म बा. सोयम की भूमि आई हुई है, कि प्रार्थीनी एवं विप्रार्थीगण के खेतों के बीच में किसी प्रकार की कोई पक्की माठें तथा सीमा चिन्ह् नहीं होने के कारण प्रार्थीनी एवं विप्रार्थी संख्या 01 से 02 तक के बीच काश्त एवं प्राकृतिक पैदावार लेते समय खेतों के सेढों के संबंध में तनाव एवं विवाद बना रहता है। तथा विप्रार्थीगण प्रार्थीनी की भूमि का जबरन सेढा तोड़कर प्रार्थीनी की खातेदारी भूमि पर जबरन काश्त कर लेते है तथा प्रार्थीनी को उसकी भूमि के उपयोग एवं उपभोग में

उपखण्ड अधिकारी धोरीमन्ना जिला-बाड़मेर

उपखण्ड अधिकारी
धोरीमन्ना, बाड़मेर

Scanned with OKEN Scanner

मचनद

हर समय बाधा उत्पन्न करते रहते है। प्रार्थीनी हमेशा के लिए भूमि के सेढों बाबत् विवाद से बचने के लिए अपनी उपरोक्त भूमि का श्रीमान तहसीलदार साहब धोरीमन्ना के कार्यालय से भूमि सीमाज्ञान का आदेश क्रमांक/भू. अ./2021/803 दिनांक 14.12.2021 पटवारी हल्का लूखू को सीमाज्ञान का आदेश किया था। श्रीमान तहसीलदार साहब धोरीमन्ना के आदेश की पालना में दिनांक 15.12.2021 को हल्का पटवारी लूखू द्वारा उपरोक्त खसरे का प्रार्थीनी व मौतबरान् के रूबरू सीमाज्ञान किया गया मौके पर उक्त खसरे के सीमा पर अस्थाई रेत के धाबा करवाया गया। उसके बाद आज से करीबन 20 रोज पूर्व विप्रार्थीगणों ने रेत धाबा बिखेरने की धमकिया दी तब हल्का पटवारी से सम्पर्क किया हल्का पटवारी व आर.आई ने ने नेखमबंदी का आदेश श्रीमान् न्यायालय से प्राप्त करने हेतू श्रीमान् के समक्ष आवेदन प्रस्तुत करने का सुझाव दिया, जिस पर यह आवेदन नेखमबंदी का श्रीमान् के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। मौके पर विवाद की स्थिति होने के कारण राजस्व कर्मचारियों को शांतिपूर्ण नेखमबंदी करने हेतू संबंधित पुलिस थाना हल्का धोरीमना को निर्देशित किया जावें कि वो नेखमबंदी के दौरान मौके पर शांति बनाये रखने हेतू पुलिस ईमदाद प्रदान करावें। प्रार्थीनी नेखमबंदी संबंधी सामग्री मौके पर उपलब्ध करवाने एवं नेखमबंदी संबंधी फीस अदा करने को तैयार है। वादग्रस्त भूमि मौजा भीलों की बस्ती पटवार मण्डल लूखू तहसील धोरीमन्ना में स्थित होने के कारण यह नेखमबंदी का आवेदन श्रीमान् के न्यायालय का क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार का है। राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू0 राजस्व अधिनियम 1956 का होने के कारण इस पर मुकरर न्याय शुल्क मुद्रांक 2/— रूपये का साथ पेश है। अतः श्रीमान्जी के समक्ष नेखमबंदी का आवेदन प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थीनी की खातेदारी के खेत ग्राम भीलों की बस्ती पटवार क्षेत्र लूखू तहसील धोरीमना के खसरा नम्बर 233/3 क्षेत्रफल 2.7519 हैक्टेयर किस्म बारानी सोयम के चारों तरफ पक्की नेखमबन्दी/पत्थरगढ़ी का आवेदन स्वीकार कर आवश्यकतानुसार मय पुलिस ईमदाद से करवाने का आदेश फरवाने की कृपा करावें का प्रार्थना पत्र पेश किया।

प्रार्थीनी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया एवं विप्रार्थीगण 01 से 03 को जरिये रजिस्ट्रेड डाक से नोटिस भिजवाए गए, विप्रार्थी संख्या 01 व 02 की ओर से अधिवक्ता श्री हापूराम विश्नोई ने वकालतनामा पेश किया पर्याप्त अवसर देने के बावजूद भी जबाव नही देने पर विप्रार्थी संख्या 01 व 02 के जबाव का अवसर बंद कर दिया गया।

उपखण्ड अधिकारी धोरीमन्ना जिला-बाड़मेर

उपखण्ड अधिकारी
धोरीमन्ना, बाड़मेर

Scanned with OKEN Scanner

प्रार्थीनी वकील ने बहस में निवेदन किया कि प्रार्थीनी के खेत के चारो तरफ पक्की नेखमबन्दी का आदेश प्रदान करावों ताकि खेत के चारो तरफ पक्की बाड़/बाढ बना सके, खेती रखवाली के लिए बाड़ बना सके, प्रार्थीनी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य है।

विप्रार्थीगण वकील ने बहस में निवेदन किया कि प्रार्थीनी का प्रार्थना पत्र सारहीन, मनगढ़त तथ्यों के आधार पर होने से खारीज योग्य है, प्रार्थीनी अपने खेत की नेखमबन्दी करवाने के हकदार नहीं है। विप्रार्थीगण को परेशान व तंग करने के लिए आवेदन पत्र किया हैं जो मय खर्चा खारीज योग्य है। प्रार्थना पत्र खारीज किया जाएं।

हमने अधिवक्ता प्रार्थीगण की बहस को विस्तारपूर्वक सुना तथा प्रार्थना पत्र तथा पत्रावली के साथ संलग्न समस्त दस्तावेजात का भली-भांति अध्ययन एवं अवलोकन किया। अध्ययन से स्पष्ट है कि प्रार्थीनी विवादित आराजी ग्राम भीलों की बस्ती पटवार क्षेत्र लूखू तहसील धोरीमना के खसरा नम्बर 233/3 क्षेत्रफल 2.7519 हैक्टेयर किस्म बारानी सोयम की खातेदार दर्ज राजस्व रेकर्ड रेकर्डेड खातेदार है। पत्रावली के अध्ययन से स्पष्ट है कि दिनांक 15.12.2021 को हल्का पटवारी लूखू द्वारा उपरोक्त खसरे का प्रार्थीनी व मौतबरान् के रूबरू सीमाज्ञान किया गया मौके पर उक्त खसरे के सीमा पर अस्थाई रेत के धाबा करवाया गया। उसके बाद आज से करीबन 20 रोज पूर्व विप्रार्थीगणों ने रेत धाबा बिखेरने की धमकिया दी प्रार्थीनी द्वारा शपथ पत्र के माध्यम से अपने प्रार्थना पत्र में कथन किया गया है कि प्रार्थीनी एवं विप्रार्थीगण के खेत आसपास स्थित है तथा खेतों के बीच किसी प्रकार के सीमा चिह्न/पक्की माठें नहीं होने के कारण सीमा सम्बन्धी विवाद होते रहते है। उपर्युक्त विवेचन के आलोक से हमारा यह विनम्र अभिमत है कि विवादित आराजी ग्राम भीलों की बस्ती पटवार क्षेत्र लूखू तहसील धोरीमना के खसरा नम्बर 233/3 क्षेत्रफल 2.7519 हैक्टेयर किस्म बारानी सोयम की हद तक हस्तगत प्रार्थना पत्र को स्वीकार करना हम उचित एवं विधिसंगत समझते हैं।

— : : आदेश : : —

अतः उपर्युक्त निष्कर्ष के आलोक में प्रार्थना पत्र प्रार्थीनी अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 भली-भांती साबित होने एवं सारवान होने से स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार धोरीमन्ना को निर्देश दिये जाते हैं कि वह प्रार्थीनी की खातेदारी आराजी राजस्व ग्राम भीलों की बस्ती पटवार क्षेत्र लूखू तहसील धोरीमना के खसरा नम्बर 233/3 क्षेत्रफल 2.7519 हैक्टेयर किस्म बारानी

उपखण्ड अधिकारी धोरीमन्ना जिला-बाड़मेर

उपखण्ड अधिकारी
धोरीमन्ना, बाड़मेर

Scanned with OKEN Scanner

सोयम का राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 111 में वर्णित विहीत प्रकिया का अनुपालन करते हुए सीमाज्ञान कर सीमा विवाद का निस्तारण करें, प्रार्थीनी के हर्जे–खर्चे से उसके खसरा संख्या 233/3 क्षेत्रफल 2.7519 किस्म बारानी सोयम, के पड़ौसी खातेदारों की आराजी के मध्य सीमा–विभाजक (नेखमबन्दी/ पत्थरगढ़ी) रोपित करावें। उभयपक्षकारान को पाबंद किया जाता है कि वक्त कार्यवाही मौके पर उपस्थित रहें। तहसीलदार धोरीमन्ना को पालनार्थ तहरीर जारी हो। पत्रावली इसी कदर निर्णित होकर संख्या से कम होते हुए दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी धोरीमन्ना
जिला-बाड़मेर

(धीरेन्द्र सिंह) RAS
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन भू–अभिलेख अधिकारी,
धोरीमन्ना

निर्णय आज दिनांक 2-2-24 को सरे ईजलास सुनाया गया।

(धीरेन्द्र सिंह) RAS
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन भू–अभिलेख अधिकारी,
धोरीमन्ना

Scanned with OKEN Scanner